न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
घीसूलाल पुत्र समाजी देवडा जाति सैन व अन्य निवासी प्रेमा निवास जोयला हाल नेशनल स्कूल रोड, भांडूप वेस्ट ओ0 मुम्बई	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय ★ शिवगंज (राजस्थान) ★

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 18/2025

–:आदेश:– दिनांक 28.05.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोयला पटवार हल्का जोयला भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 494/378, 469/340, 498/341, 502/377, 504/379, 506/380 रकबा कमशः 0.0405, 0.0324, 0.0080, 0.0566, 0.0404, 0.0647 कुल किता 6 कुल रकबा **0.2426 हैक्टयर** है। उक्त प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज नहीं होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व में कृषि आराजी समाजी की मृत्यु हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के वारीसान घीसूलाल व मीठालाल के नाम से नामांतकरण दर्ज किया गया जिसमें घीसूलाल पुत्र समाजी दर्ज नहीं करते हुए घीसाराम पुत्र समरथाराम कर दिया गया है जो गलत है। मीठालाल पुत्र समाजी की मृत्यु हो जाने से मीठालाल के प्रथम श्रेणी के वारीसान के नाम प्रार्थीगण सं0 2 ता 4 व उनके परिवारजन द्वारा तहसीलदार शिवगंज के समक्ष उक्त खाता सं0 298 की कृषि आराजी को मीठालाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान के हक मे फौतगी नामांतरकरण का आवेदन किया था। जिसको स्वीकार करते हुए तहसीलदार शिवगंज द्वारा बाद जांच प्रथम श्रेणी के वारिसान के हक में खातेदारी दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार शिवगंज के आदेशानुसार पटवार हल्का जोयला को उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी को राजस्व रेकर्ड में मीठालाल के स्थान पर वारीसान के नाम में दर्ज किया जाना था। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी को पटवारी जोयला द्वारा राजस्व रेकर्ड में मीठालाल के हिस्से की कृषि आराजी को उनके वारीसान के हक में दर्ज किया गया किन्तु प्रार्थीगण सं0 2 का नाम नारंगीदेवी दर्ज नहीं करते हुए नारायणीदेवी, प्रार्थीगण सं0 3 का नाम गीताबेन दर्ज नहीं करते हुए भूरी देवी व प्रार्थीगण सं0 4 का नाम मूलीदेवी दर्ज नहीं करते हुए मुरकीदेवी दर्ज किया गया है जो कि गलत है। उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने से उक्त खसरा सं0 की कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग करने में अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पडता है। अतः प्रार्थीगणों ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र कमांक 283 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा जवाब पेश किया। जिसमें अवगत कराया कि समरथा पुत्र भूता सुआर की मृत्यु होने से ग्राम जोयला के नामांतरकरण सं0 266 दिनांक 30.10.1977 द्वारा मीठा, घीसा, पिता समरथा दर्ज किया गया नामांतरकरण सं0 1647 दिनांक 08.04.2013 प्रकार सम्मानजनक द्वारा मीठा, घीसा पिता समरथा सुआर के स्थान पर मीठाला[illegible] नाम पि0 समरथाराम सुआर दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत जोयला के नामान्तरक[illegible] सं0 [illegible]94 दिनांक 06.12.2023 प्रकार विरासत द्वारा मीठालाल की मृत्यु [illegible] के पश्चात विरासत द्वारा धरमीबाई पत्नी मीठालाल, पिस्ता[illegible] पुत्री मीठालाल, [illegible]देवी पुत्री मीठालाल, [illegible]देवी पुत्री मीठालाल, मुरकीदेवी पुत्री मीठालाल, रमेशकुमार [illegible] मीठालाल, के नाम से [illegible]आ है। प्रार्थी घीसूलाल के आधार कार्ड पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम घीसूलाल ही दर्ज है। प्रार्थीया नारंगीदेवी के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम नारंगीदेवी ही दर्ज है। प्रार्थीया गीताबेन के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र में गीताबेन ही दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्र0सं0–18 / 2025
घीसूलाल व अन्य बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

प्रार्थीया मूलीदेवी के आधार कार्ड, पहचान पत्र में भी प्रार्थीया का नाम मूलीदेवी दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.05.2025 को वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान पिस्तादेवी व भंवरीदेवी के शपथ पत्र पेश कर प्रार्थीगणों के नाम संशोधन करने का निवेदन किया गया। व इसी दिन उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा जोयला के वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान में प्रार्थीगणों के नाम प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, सहखातेदारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व सहखातेदारों के शपथपत्र के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा जोयला** पटवार हल्का जोयला के खसरा नं0 494 / 378, 469 / 340, 498 / 341, 502 / 377, 504 / 379, 506 / 380 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0324, 0.0080, 0.0566, 0.0404, 0.0647 कुल किता 6 कुल रकबा **0.2426 हैक्टयर** में दर्ज नाम घीसाराम पुत्र समरथाराम के स्थान पर **घीसूलाल पुत्र समाजी**, नारायणीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **नारंगीदेवी पुत्री मीठालाल**, भूरीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **गीताबेन पुत्री मीठालाल** व मुरकीदेवी पुत्री मीठालाल के स्थान पर **मूलीदेवी पुत्री मीठालाल** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 28–05–2025

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राज.)

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 / 308
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:59 IST
Reason: SelfAttested